आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 25.11.2024 समय : 1905

- संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरु हो गया।
- दक्षिण अंडमान जिले में बिना वैध लाइसेंस के होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट को संचालित करने की अनुमति नही है।
- दक्षिण अंडमान ज़िले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप–किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है।
- पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी पशुधन गणना का कार्य किया जा रहा है।
- द्वीपसमूह में एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कई उत्पादों के निर्माण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है।

<><><><><><><>

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरु हो गया। छब्बीस दिनों तक चलनेवाले इस सत्र में उन्नीस बैठकें होंगी। हालांकि कल, छब्बीस नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उनचास को संविधान को अंगीकार किया गया था। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने की बीस तारीख तक चलेगा। विधाई कार्यों में कुल सोलह विधेयक सूचीबद्ध हैं। जिन्हें इस सत्र के दौरान पारित किए जाने की संभावना है इन विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक दो हजार चौबीस, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक दो हजार चौबीस शामिल है। इसके अतिरिक्त सत्र के दौरान वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा और मतदान होगा।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिले में राष्ट्र विरोधी ताकतों के संदिग्ध गैर गतिविधियों को रोकने और जनता तथा उनकी सम्पत्तियों की रक्षा के लिए जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की ओर से सभी होटल, आतिथि आवासों, लॉज और होम स्टे मालिकों के लिए लिखित आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन होटलों, अतिथि आवासों, लॉज और बेड एंड ब्रेकफास्ट के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें ही जिले में संचालित करने की

अनुमति है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में समुचित मात्रा में सीसी टीवी कैमरा भी होने चाहिए, जिसके जरिए लोगों के परिसरों में प्रवेश और निकासी का पता चल सके। सभी कैमरा कार्य करने की स्थिति में हो और कवरेज को कम से कम तीस दिनों तक संरक्षित रखना होगा। ऐसे सभी संस्थानों को परिसर में रहने वाले लोगों के बारे में पूर्ण जानकारियां रखने के लिए रजिस्टर भी बनाए रखना होगा और संबधित लोगों की वैध पहचान की कॉपी भी रिकॉर्ड के लिए रखनी होगी। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को फार्म सी भरकर निर्धारित अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा। यह आदेश आज से लागू हो गया है, जो अगले साठ दिनों तक जारी रहेगा। आदेश में इसका पालन करने को कहा गया है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा दो सौ आठ के तहत कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप–किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि इस निर्णय से असामाजिक तत्वों के भागने या छिपने पर रोक लगाया जा सकता है और इससे लोगों की सुरक्षा तथा ज़िले में शांति को भी कायम किया जा सकेगा। आदेश के तहत किसी भी मकान मालिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक या मालिकों को किराएदारों या पेईंग गेस्ट को रखने से पहले स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। नौकर के संबंध में भी यह आदेश लागू होगा। आदेश आज से लागू हो गई है और अगले साठ दिनों तक लागू रहेगी।

<><><><><><><>

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है इसलिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस –यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैंक के अनुसार, यूपीआई की क्षमताओं में सुधार के साथ अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से सोलह दशमलव छः अरब का लेनदेन हुआ, जो महत्वपूर्ण है। इसमें छियासी प्रतिशत तक भुगतान की तत्काल सफल वापसी शामिल है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने बताया कि भारत का यूपीआई, एक ओपन एंडेड प्रणाली है, जिसमें शामिल किसी भी बैंक के एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों के उपयोग की सुविधा मिलती है।

<><><><><><><>

पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी इक्कीसवीं पशुधन गणना इस वर्ष पच्चीस अक्तूबर से शुरू हो गई, जो अगले वर्ष फरवरी तक पूरा हो जाएगा। यह अभ्यास पशुधन की संख्या का पता लगाने के लिए हर पांच साल के अंतराल पर किया जाता है, जिससे पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं बनाने और रणनीति तैयार करने तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पशुधन गणना का काम डिजिटल रूप से किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है, यह सॉफ्टवेयर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पशुधन गणना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सोलह प्रजातियों के लिए पशुधन के साथ–साथ उनकी नस्ल, लिंग, आयु और उपयोग का विवरण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में सुधार के लिए कार्यक्रमों की उचित योजना, निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी को सुविधाजनक बनाना है और डेटा संग्रह, संसाधन आवंटन और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग हैं। पशुधन गणना देश भर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा गणना सभी रक्षा प्रतिष्ठानों, अर्ध–सैन्य बलों और राज्य पुलिस प्रतिष्ठानों में भी आयोजित की जाएगी। इस गणना में आवारा मवेशियों की डेटा भी एकत्र की जाएगी। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग को द्वीपसमूह का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो तीनों जिलों के पांच सौ उनचास गांवों और चौबीस वार्डों में पशुधन गणना का कार्य करेगी। इसमें तिरपन गणनाकार, आठ पर्यवेक्षक और तीन ज़िला नोडल अधिकारी सहायक राज्य नोडल अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। विभाग ने सभी पशुधन मालिकों से पशुधन गणनाकारों को सहायता देने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><><>

द्वीपसमूह में एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कई उत्पादों के निर्माण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई–कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर्स, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और आम जनता से चिन्हित एकल इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने का आग्रह किया गया है। इसमें प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लेट, कप, गिलास, बोतल, शैम्पू–मसालो के पाउच, लाइटर, कटलरी, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेटों के चारों ओर लपेटने या पैकिंग करने वाली फिल्म शामिल हैं। सौ माइक्रोन से कम के पी. वी. सी बैनरों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अण्डमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम दो हजार सोलह का हवाला देते हुए इस संबंध में नोटिस जारी कर जनता सहित सभी संबंधितो को सूचित किया है। ई–कॉमर्स वेबसाइट पर भी

एकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के उत्पादो की बिक्री के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

<><><><><><><>

बोधिसत्वा अम्बेडकर सांस्कृतिक संगठन की ओर से कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम सुबह आठ बजकर पन्द्रह मिनट पर गोलघर स्थित संगठन के परिसर में आयोजित किया जाएगा।

<><><><><><><>

जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल जागरूकता सप्ताह मनाया गया। समापन अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एच के शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में भूगोल विभाग द्वारा किए गए आयोजनों की सराहना की। समारोह के दौरान भूगोल विभाग के पूर्व छात्र, जो वर्तमान में प्रशासन के प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत है, वे भी उपस्थित थे। सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र वितरित किया गया।

<><><><><><><>